दिनांक 24.10.2017 को प्रात: 11:00 बजे समिति कक्ष, केंद्रीय जल आयोग , तीसरी मंजिल, सेवा भवन, आर. के. पुरम, नई दिल्ली में आयोजित "नदी को आपस में जोड़ने के लिए टास्क फोर्स के अंतर्गत वित्तीय पहलुओं पर समूह" की पहली बैठक का कार्यवृत्त

"नदियों को आपस में जोड़ने के लिए टास्क फोर्स के अंतर्गत वित्तीय पहलुओं पर समूह" की पहली बैठक भारत सरकार के पूर्व सचिव और समूह के अध्यक्ष डॉ प्रोदीप्तो घोष की अध्यक्षता में 24.10.2017 (मंगलवार) को सुबह 11:00 बजे केंद्रीय जल आयोग , सेवा भवन, आरके पुरम, नई दिल्ली के समिति कक्ष में आयोजित की गई थी। सदस्यों और अन्य प्रतिभागियों की सूची अनुलग्नक-I के रूप में संलग्न है।

प्रारंभ में, अध्यक्ष ने सभी सदस्यों और अन्य प्रतिभागियों का स्वागत किया और वित्तीय पहलुओं पर समूह के गठन की पृष्ठभूमि के बारे में संक्षेप में बताया। उन्होंने कहा कि सौंपे गए कार्य को पूरा करने के लिए समूह को चार महीने की समय-सीमा दी गई है। इस प्रकार, पहली बैठक में ही हमें विभिन्न अध्ययन करने के लिए कार्यनीति तैयार करनी होगी और उचित समय में रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। सदस्यों और अन्य प्रतिभागियों के संक्षिप्त परिचय के बाद अध्यक्ष ने समूह के सदस्य सचिव श्री के पी गुप्ता से कार्यसूची के विषयों पर चर्चा करने का अनुरोध किया।

मद संख्या 1.1 आईएलआर परियोजनाओं की समीक्षा:

राजविअ के निदेशक (तकनीकी) और समूह के सदस्य सचिव श्री के पी गुप्ता द्वारा आईएलआर परियोजनाओं की पृष्ठभूमि और नवीनतम स्थिति पर एक पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन दिया गया। यह सूचित किया गया कि राजविअ की 30 अभिनिर्धारित लिंक परियोजनाओं में से केवल तीन लिंकों नामत केन-बेतवा, पार-तापी नर्मदा और दमनगंगा-पिंजाल लिंकों की डीपीआर पूरी कर ली गई है और इन लिंकों की अनुमानित लागत को निर्धारित किया गया है। श्री एच सतीश राव, सदस्य ने यह जानना चाहा कि राजविअ के कितने चिन्हित लिंक स्वतंत्र हैं। सदस्य सचिव श्री के पी गुप्ता ने स्पष्ट किया कि सात लिंक नामत केन-बेतवा, पार-तापी-नर्मदा, दमनगंगा-पिंजाल, बेदती-वर्धा, हेमवती-नेत्रावती, पार्वती-कालीसिध-चंबल और पंबा-अचनकोविल-वैप्पार लिंक स्वतंत्र हैं और शेष लिंक आश्रित लिंक हैं। श्री धीरज नैय्यर, सदस्य ने नदियों को आपस में जोड़ने के कार्यक्रम के लिए नोडल एजेंसी के बारे में जानना चाहा। यह स्पष्ट किया गया कि आईएलआर कार्यक्रम की समग्र आयोजना और कार्यान् वयन के लिए राजविअ नोडल एजेंसी है। श्री जगमोहन गुप्ता, संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन ,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि तीन परियोजनाओं की डीपीआर न केवल तैयार है बल्कि इन परियोजनाओं की सांविधिक मंजूरियां अंतिम चरण में हैं। केन-बेतवा लिंक परियोजना चरण-I के कार्यान्वयन के लिए शुरू किया जाने वाला है। यस बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री राणा कपूर का प्रतिनिधित्व कर रहे श्री भूवेश राठौर ने यह जानना चाहा कि किस प्रकार के राजस्व मॉडल का अनुसरण किया जाना प्रस्तावित है। अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि लागत वसूली निस्संदेह परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन साथ ही यह भी सच है कि सिंचाई क्षेत्र में सिंचाई प्रशुल्क की लागत वसूली की बड़ी समस्या बनी हुई है। वर्तमान में एकत्र किया गया राजस्व परियोजना की ओ एंड एम लागत को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। अत: राज्यों को प्रोत्साहित करना आवश्यक है ताकि कम से कम आईएलआर कार्यक्रम के मामले में लागत वसूली प्रणाली का पुनरुद्धार किया जा सके।

कुछ सदस्यों ने यह जानना चाहा कि क्या डीपीआर स्तर पर परियोजनाओं की समग्र लागत में पर्यावरणीय लागत, अनुसंधान एवं अनुसंधान की लागत, प्रतिपूरक वनीकरण की लागत आदि को शामिल किया गया है। राजविअ

द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि डीपीआर स्तर पर परियोजनाओं की लागत का निर्धारण करते समय इन लागतों को शामिल किया गया है।

एनएचपीसी के निदेशक (वित्त) श्री वाईके मित्तल ने उल्लेख किया कि चूंकि हमारे देश में सिंचाई क्षेत्र में राज्य सहायता प्राप्त प्रशुल्क है और काफी हद तक पेयजल आपूर्ति के मामले में भी ऐसा ही है, इसलिए आईएलआर परियोजनाओं के राजस्व मॉडल के मामले में केन्द्र और राज्यों द्वारा दिए जाने वाले वाणिज्यिक प्रशुल्क और राज्य सहायता के घटकों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना उचित होगा। किसी भी संस्थागत वित्तपोषण के लिए, परियोजनाओं को आईआरआर की उचित दर के साथ वित्तीय रूप से व्यवहार्य होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय ने उल्लेख किया कि राजस्व मॉडल तैयार करने और विभिन्न स्त्रोतों से निधियों की सोर्सिंग के लिए उचित सावधानी बरतने की आवश्यकता है।

मद सं.1.2 नदियों को आपस में जोड़ने के संबंध में पूर्व के कार्यबल द्वारा गठित वित्त संबंधी उप-समूह की सिफारिशों की समीक्षा (2002):

समूह के अध्यक्ष श्री प्रोदीप्तो घोष ने आईएलआर (वर्ष 2002) के लिए पूर्व के कार्यबल द्वारा सुझाए गए वित्तपोषण के विकल्पों पर एक प्रस्तुति दी ताकि सदस्यों को श्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में कार्यबल-I के बारे में वित्तपोषण से जुड़े मुद्दों और पूर्व में किए गए विचार के बारे में जानकारी दी जा सके। प्रस्तुति की प्रति अनुलग्नक-1-2-1 के रूप में संलग्न है। 6% प्रतिवर्ष की मुद्रास्फीति दर और 65 रुपये प्रति अमरीकी डालर की वर्तमान विनिमय दर को देखते हुए, परियोजना की वर्तमान अनुमानित लागत 144 बिलियन अमेरीकी डालर और वार्षिक लागत 12 बिलियन अमरीकी डालर है। प्रस्तुति के दौरान उन्होंने व्यापक रूप से पूर्व के कार्यबल (वर्ष 2004) की कार्य योजना-II के अंतर्गत वित्तपोषण के विकल्पों पर की गई विभिन्न सिफारिशों पर चर्चा की।

- सार्वजनिक-निजी भागीदारी

(a) वार्षिकी मॉडल

(b) व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण मॉडल

- सार्वजनिक वित्त पोषण / भागीदारी

(a) पूंजी बाजार तक पहुंच

(b) खुदरा निवेशक

(c) बैंक/ वित्तीय संस्थाएं

(d) उपकर और कर्तव्य

(ङ) रोजगार सृजन योजनाओं से आबंटन

(f) अन्य विकल्प

उपर्युक्त के अलावा, मानदंडों और लागत वसूली के तरीकों को भी प्रस्तुत किया गया और चर्चा की गई। अंत में यह महसूस किया गया कि प्रस्ताव प्रकृति में सामान्य हैं और एक स्पष्ट, व्यावहारिक वित्तपोषण और लागत वसूली योजना के लिए राशि नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों पर भी उनके द्वारा विचार नहीं किया गया था।

प्रस्तुतीकरण के दौरान, सीडब्ल्यूसी के मुख्य अभियंता (आईएमओ) ने बताया कि सिंचाई परियोजनाओं की वर्तमान औसत लागत 3.0 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर है। चूंकि आईएलआर परियोजनाओं से परिकल्पित सिंचाई लाभ 35 मिलियन हेक्टेयर के क्रम का है, इसलिए सिंचाई विकास की अनुमानित लागत 105 लाख करोड़ रुपये हो जाएगी।

आईटी अधिनियम की धारा-54 ईसी और 54 ईडी के अंतर्गत जारी किए जाने वाले ग्रीन बांड के बारे में एनएचपीसी के प्रतिनिधि ने उल्लेख किया कि वर्तमान में एनएचएआई और आरईसी केवल दो अभिकरण हैं जो बाजार में ऐसे बांड जारी करने और बाजार से 5,000 करोड़ रुपये जुटाने के लिए अधिकृत हैं। अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि दो और अभिकरणों नामत पावर फाइनेंस कारपोरेशन और रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन को बांड जारी करके बाजार से धन जुटाने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

नीति आयोग के श्री धीरज नैय्यर ने परियोजना के वित्तपोषण का निर्णय लेने के लिए परियोजना के कैपेक्स भाग और ओपेक्स भाग को स्पष्ट रूप से तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया। समूह के अध्यक्ष ने उनके विचारों का समर्थन किया।

सदस्य श्री सतीश राव ने आईएलआर कार्यक्रम के कार्यान्वयन में शामिल राजनीतिक जोखिम पर चिंता व्यक्त की और इस जोखिम को कैसे समाप्त या कम किया जा सकता है। अध्यक्ष ने उल्लेख किया कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने नदियों की नेटवर्किंग पर दायर जनहित याचिका पर कार्रवाई करते हुए केन्द्र सरकार को आईएलआर कार्यक्रम को कार्यान्वित करने का निदेश दिया है। जैसा कि माना जाता है, मंत्री, केन्द्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की अध्यक्षता में नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी एक विशेष समिति (एससीआईआर) ने आईएलआर कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए एक समिति का गठन किया। इस घटनाक्रम को देखते हुए राजनीतिक जोखिम को काफी हद तक कम किया गया है।

श्री राव ने यह भी कहा कि दो कारकों अर्थात् कार्यान्वयन अनुसूची और राजकोषीय पक्ष में शामिल विभिन्न जोखिमों पर उचित रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। एनडीए-I के अंतर्गत टास्क फोर्स-I के बारे में सोचना कि पूरे आईएलआर कार्यक्रम को 12 वर्षों की अवधि में लागू किया जाएगा, अत्यधिक आशावादी है। चीन का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि उन्होंने तीन चरणों में नदियों को आपस में जोड़ने के कार्यक्रम की योजना बनाई है। उन्होंने वर्ष 2005 में चरण-I और चरण-II के कार्य शुरू किए और 2014 में पूरा किया। अब उन्होंने विभिन्न पर्यावरणीय समस्याओं और जनता के विरोध को देखते हुए कार्यक्रम के चरण-III को लागू करने के विचार को स्थगित कर दिया है। उनके द्वारा उद्धृत प्रमुख समस्याओं में से एक, जल प्रदूषण का कारण बनने वाली नहरों में औद्योगिक अपशिष्ट का निपटान था। इसलिए उनका विचार था कि हमारे मामले में भी निधियों के स्रोत को खोजने से पहले लिंक के कार्यान्वयन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अध्यक्ष और अन्य सदस्यों ने भी उनके विचारों से सहमति व्यक्त की।

मद संख्या 1.3 संभावित फंडिंग विकल्पों की पहचान

अध्यक्ष महोदय ने उल्लेख किया कि पिछले मद के अंतर्गत वित्तपोषण के अधिकांश विकल्पों पर पहले ही चर्चा की जा चुकी है और अगली कुछ बैठकों में विचार बनने के कारण आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

मद संख्या 1.4 वित्तीय पहलुओं पर समूह के लिए एक कार्य योजना तैयार करना

यह महसूस किया गया कि एक बैठक में वित्तीय पहलुओं पर समूह के लिए कार्य योजना तैयार करना संभव नहीं होगा। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि तीन प्रस्तुतियां, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है, संबंधित संगठनों

द्वारा पहले आईएलआर कार्यक्रम से जुड़े मुद्दों की सराहना करने के लिए और फिर समूह के लिए अनंतिम कार्य योजना तैयार करने के लिए की जानी चाहिए।

(i) एक आईएलआर परियोजना के वित्तीय पहलुओं पर राजविअ द्वारा प्रस्तुतिकरण, जिसके लिए डीपीआर तैयार की गई है और राजविअ की तीन आईएलआर परियोजनाओं की डीपीआर के एक्सट्रपलेशन के आधार पर पूरे आईएलआर कार्यक्रम की अनुमानित लागत। प्रस्तुति केबीएलपी पर हो सकती है जिसमें संक्षेप में महत्वपूर्ण तकनीकी पहलुओं और विस्तार से वित्तीय और आर्थिक विश्लेषण शामिल हैं।

(ii) नीति आयोग द्वारा कार्यान्वयन अवधि के दौरान आईएलआर कार्यक्रम के लिए राजकोषीय संसाधनों की उपलब्धता पर प्रस्तुति

(iii) यस बैंक द्वारा कार्यान्वयन अवधि के दौरान आईएलआर कार्यक्रम के लिए भारतीय संस्थागत वित्त की उपलब्धता पर प्रस्तुति

इस बात पर सहमति बनी कि प्रस्तुतियों को दूसरी बैठक की तारीख से कम से कम एक सप्ताह पहले वित्त समूह के सदस्यों के साथ साझा किया जाएगा।

यह निर्णय लिया गया कि समूह की अगली बैठक अगले तीन सप्ताह के भीतर आयोजित की जानी चाहिए। तत्पश्चात् समूह अपने कार्य में तेजी लाने के लिए पाक्षिक आधार पर बैठक कर सकता है।

माननीय सदस्यों का विचार था कि राजविअ को उनके द्वारा तैयार डीपीआर के आधार पर प्रति हेक्टेयर सिंचाई विकास की औसत लागत और प्रति मेगावाट विद्युत उत्पादन की औसत लागत का पता लगाने का प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा, उन्हें अपने ईआईए अध्ययन और ईएमपी के आधार पर प्रति परिवार औसत आर एंड आर लागत और प्रतिपूरक वनीकरण की प्रतिपूरक वनीकरण की औसत लागत का पता लगाने का भी प्रयास करना चाहिए और उन्हें अपनी प्रस्तुति में दिखाना चाहिए।

मद संख्या 1.5 अध्यक्ष की अनुमति के साथ कोई अन्य मद

केंद्रीय जल आयोग के मुख्य अभियंता (आईएमओ) ने कहा कि मुख्य अभियंता (पीएओ), केंद्रीय जल आयोग जो राष्ट्रीय परियोजनाओं पर कार्य कर रहा है, केंद्रीय जल आयोग से इस समूह के लिए एक सदस्य के रूप में सही विकल्प होता क्योंकि गठित समूह के टीओआर में से एक यह है कि एनपीपी के कुछ आईबीडब्ल्यूटी लिंक को केन-बेतवा लिंक की तर्ज पर 'राष्ट्रीय परियोजना' के रूप में घोषित करने के विकल्प (ओं) का अध्ययन करना है। समूह के अध्यक्ष ने सुझाव दिया कि मुख्य अभियंता (पीएओ), केंद्रीय जल आयोग को समूह की सभी बैठकों के लिए विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया जाना चाहिए।

बैठक का समापन अध्यक्ष के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ हुआ।

***

अनुलग्नक-I

दिनांक 24 अक्टूबर, 2017 को नई दिल्ली में आयोजित "नदियों को आपस में जोड़ने के लिए टास्क फोर्स के अंतर्गत वित्तीय पहलुओं पर समूह" की पहली बैठक के सदस्यों, विशेष आमंत्रित सदस्यों और अन्य प्रतिभागियों की सूची

1.	डॉ प्रोदीप्तो घोष, भारत सरकार के पूर्व सचिव और आईएलआर, नई दिल्ली के लिए टास्क फोर्स के सदस्य	अध्यक्ष
2.	श्री धीरज नैय्यर, ओएसडी (अर्थशास्त्र, वित्त और वाणिज्य प्रकोष्ठ), नीति आयोग, नई दिल्ली	सदस्य
3.	श्री एम के मित्तल, निदेशक (वित्त), एनएचपीसी, फरीदाबाद	सदस्य
4.	श्री एच सतीश राव, सेवानिवृत्त महानिदेशक, एडीबी	सदस्य
5.	श्री नवीन कुमार मुख्य अभियंता (आईएमओ), केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली	सदस्य
6.	श्री आर के जैन, मुख्य अभियंता (मुख्यालय), राजविअ , नई दिल्ली	सदस्य
7.	श्री के पी गुप्ता निदेशक (तकनीकी), राजविअ , नई दिल्ली	सदस्य-सचिव
8.	श्री भूपेश राठौर, राष्ट्रपति रणनीतिक सरकार सलाहकार, यस बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली	श्री राणा कपूर, प्रबंध निदेशक और सीईओ, यस बैंक लिमिटेड, मुंबई का प्रतिनिधित्व करते हुए
	विशेष आमंत्रित सदस्य	
1.	श्री जगमोहन गुप्ता, जेएस एवं एफ़ए (जल संसाधन ,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय), नई दिल्ली	
	अन्य अधिकारी	

1.	श्री बी पी पाण्डे, निदेशक (आईएसएम), केंद्रीय जल आयोग , नई दिल्ली	
2.	श्री रजत नारंग जीईवीपी कंपनी वित्त, यस बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली	
3.	श्री अनिल कुमार जैन, उप निदेशक, राजविअ , नई दिल्ली	
4.	श्री एमके सिन्हा वरिष्ठ सलाहकार, राजविअ , नई दिल्ली	

अनुलग्नक-1.2.1

अनुलग्नक-1.2.1

आईएलआर कार्यक्रम:

2004 में एनसीएईआर द्वारा किए गए वित्तपोषण के प्रस्तावों का सारांश

प्रोदीप्तो घोष, पीएच.डी.

24 अक्टूबर 2017

अनुमानित लागत

- 2004 में अनुमानित कुल लागत: 12-15 वर्षों में 5.6 लाख करोड़ रुपये है । वार्षिक लागत (12 वर्षों की कार्यान्वयन अवधि के लिए) 46,500 करोड़ रुपये होने का अनुमान है ।
- 6% वार्षिक मुद्रास्फीति दर और प्रति 65 रुपये प्रति अमेरिकी डॉलर की वर्तमान विनिमय दर पर, वर्तमान अनुमानित लागत 183 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, और वार्षिक लागत 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर है।

व्यापक आर्थिक परिप्रेक्ष्य:

• 2015 में अनुमानित वृद्धिशील वित्तीय परिसंपत्तियां 13 लाख करोड़ रुपये या 200 अरब डॉलर प्रति वर्ष है। [प्रथम दृष्टया, वार्षिक वित्त पोषण की आवश्यकता को घरेलू स्रोतों से पूरा किया जा सकता है]

• *वित्तीय संसाधन जुटाने की कुंजी: लागत की न्यायसंगत तरीके से वसूली*

3

वित्त जुटाने के तरीके

• निजी भागीदारी: मुख्य रूप से जलीय ऊर्जा घटक (सी.34,000 मेगावाट)।

  - ऋण: परिकल्पित इक्विटी 70:30 है। कुल लागत का लगभग
  - 25-26% निजी भागीदारी से उठाया जा सकता है।

• सार्वजनिक-निजी भागीदारी: मुख्य रूप से नहर सहायक नदियों और कमांड क्षेत्रों के लिए है । दो मॉडल:

4

पीपीपी: दो मॉडल

(i) वार्षिकी मॉडल एक निर्माणकर्ता का चयन वार्षिकी भुगतान के लिए प्रतिस्पर्धी बोलियों के आधार पर किया जाता है।

- सरकार निर्माणकर्ता को वार्षिकी का भुगतान करती है, और बाजार जोखिमों को मानती है।
- निर्माणकर्ता वित्तपोषण, निर्माण और संचालन जोखिमों को सहन करता है

(ii) व्यवहार्यता अंतर मॉडल: सरकार भूमि विकास, मत्स्य पालन आदि के लिए अधिकार प्रदान करती है, और प्रतिस्पर्धी बोलियों द्वारा निर्धारित व्यवहार्यता के लिए अंतर वित्तपोषण प्रदान करती है।

- तर वित्तपोषण की रिहाई निर्माणकर्ता बैठक परिभाषित मील के पत्थर के अधीन है

5

जन सहभागिता

(i) पूंजी बाजारों तक पहुंच : सरकार द्वारा 20-25 वर्ष की परिपक्वता के साथ ग्रीन बांड जारी किए जा सकते हैं। निवेशक: आईटी अधिनियम की धारा 54 ईसी और 54 ईडी के अंतर्गत आईटी छूट के माध्यम से प्रोत्साहित किया जा सकता है।

(ii) खुदरा निवेशक: दो दृष्टिकोण: आईटी अधिनियम की धारा 80 एक 88 के अंतर्गत प्रोत्साहन। आईएलआर के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए बांड आदि आवर्ती आधार (6 वर्ष) पर कुल कर योग्य आय की गणना में कटौती के लिए पात्र होंगे। मूल धन गैर-वापसी योग्य होगा।

6

जन भागीदारी...

(iii) **बैंक/वित्तीय संस्थान**:

- कुल उधार के 40% के मानदंड के भीतर बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा उधार देने के लिए आईएलआर को "प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र" घोषित किया जा सकता है
- सरकार बांड और विभिन्न ऋण साधनों के माध्यम से उधार ले सकती है। हालांकि, ऋण: सार्वजनिक उधार के सकल घरेलू उत्पाद लक्ष्य का उल्लंघन किया जा सकता है।

(iv) **उपकर और शुल्क**: कृषि उत्पादन पर प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, उपकर लगाया जा सकता है कृषि *मंडियां.*

7

सार्वजनिक वित्तपोषण...

(v) **रोजगार सृजन योजनाओं से आबंटन** (ग्रामीण) रोजगार योजनाओं (पहले, संपूर्ण) के अंतर्गत श्रम रोजगार के लिए आबंटन *का* एक भाग *ग्रामीण रोजगार योजना*, अब मनरेगा) हो सकता है आईएलआर के अंतर्गत श्रम लागतों को पूरा करने के लिए आबंटित।

(vi) **अन्य विकल्प**: विभिन्न विकल्प:

- आईटी एमनेस्टी योजना
- जल कार्यक्रमों पर मौजूदा आबंटनों का एक भाग आईएलआर को आबंटित किया जा सकता है।
- लाभार्थी राज्यों को केन्द्रीय आबंटन का एक भाग आईएलआर को आबंटित किया जा सकता है।

8

लागत वसूली के मानदंड और तरीके।

- कम से कम, लागत वसूली में ओ एंड एम, ब्याज, एक मूल्यह्रास शुल्क शामिल होना चाहिए।
- जल प्रयोक्ताओं पर उपकर लगाना, यह उन राज्यों पर केन्द्रित होगा जो आईएलआर से लाभान्वित होंगे।
- सिंचाई प्रशुल्कों में वृद्धि:
- 2004 में, जल प्रभार 1994-95 में कुल फसल से 3% कम था।
- काम के खर्चों की वसूली 1976-77 में 93% से घटकर 1988-89 में 34% हो गई।
- सिंचाई के लिए 14,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी

9

लागत वसूली...

- पानी के मूल्य निर्धारण के लिए विभिन्न विकल्प:
- आयतनमितीय आधार
- गैर-आयतनमितीय मूल्य निर्धारण
- कोटा / राशनिंग
- बाजार आधारित: पानी पर संपत्ति के अधिकार, और क्रेता और विक्रेता के बीच बाजार की पारस्परिक क्रिया की आवश्यकता है।
- खेत के एक निश्चित आकार से ऊपर सिंचित भूमि पर बढ़ाया गया भूमि-कर।
- निजी कंपनियों से रॉयल्टी: भुगतान निजी कंपनियों द्वारा किया जा सकता है जिन्हें सिंचाई का पानी प्रदान करने के अधिकार दिए गए हैं।
- भूमि विकास अधिकार: भूमि विकास के लिए अधिकारों की नीलामी।
- विशेष रूप से नहर के किनारों के साथ जो अंतर्देशीय जल परिवहन के लिए भी उपयोग किए जाते हैं।

10

सम्पूर्ण टिप्पणी

- एनसीएईआर के प्रस्ताव बल्कि सामान्य प्रकृति के हैं, और एक स्पष्ट, व्यावहारिक वित्तपोषण और लागत वसूली योजना की राशि नहीं है।
- अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों पर विचार नहीं किया गया है।
- विभिन्न स्रोतों से निधियों की प्राप्ति के लिए उचित परिश्रम की आवश्यकताएं नहीं हैं ।